

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

कार्य सं० : 178/2024

निवासी :

1. अमित कुमार पुत्र रतनलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
2. मांगीलाल पुत्र ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
3. सज्जनकुमार पुत्र नोरंगराय जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
4. विकास गर्ग पुत्र महादेव प्रसाद जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
5. सुशील कुमार पुत्र रमेशचन्द्र जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
6. विनोदकुमार पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
7. गोतम गर्ग पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
8. दीपककुमार पुत्र श्यामसुन्दर जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।

:-वादीगण

बनाम

1. कुलदीप कुमार पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा।
2. कुलदीपसिंह पुत्र छगनसिंह जाति राजपूत निवासी भादरा तहसील भादरा।
3. अब्दुल सतार पुत्र अब्दुल रजाक जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा।
4. इफतेखार पुत्र मजीद निवासी मण्डेला जिला झुंझुनु।
5. इमरानखान पुत्र अहमदयासीनखान निवासी भादरा तहसील भादरा।
6. मदीना पुत्री अलादीन जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा।
7. महमुदखान पुत्र हनीफ मोहम्मद जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा।
8. विजयशंकर पुत्र शिवशंकर जाति ब्राह्मण निवासी भादरा तहसील भादरा।
9. सुरेन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा।
10. सलामुदीन पुत्र नुरेखान जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा।
11. हबीबखान पुत्र अलादीन जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : वादीगण

वकील श्री विरेन्द्र जाखड़ : प्रतिवादी सं० 1,6,8,10,11

निर्णय

दिनांक: 25.11.2024

संक्षेप में दावा के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा 10 वारानी के खाता सं० 27/154 के मु० न० 54 के कि० न० 21 ता 24, मु० न० 55 के 25, मु० न० 56 के कि० न० 5, 6, 15, 16 मु० न० 57 के कि० न० 1 ता 15, 19, 20 मु० न० 63 के कि० न० 11 की कुल 6.8310 है० वारानी जिसमें वादी अमितकुमार के नाम 0.352 है० वादी मांगीलाल के नाम 0.353 है० वादी सज्जनकुमार के नाम से 0.226 है० वादी विकास गर्गके नाम से 0.2572 है० वादी सुशील कुमार के नाम से 0.2572 है० वादी विनोद कुमार के नाम से 0.2952 है० वादी गोतम गर्ग के नाम से 0.2572 है० वादी विकास गर्ग के नाम से 0.2572 है० वादी दीपक कुमार के नाम से 0.2572 है० प्रतिवादी अब्दुल सतार के नाम 0.126 है० प्रतिवादी इफतेखार के नाम से 1.518 है० प्रतिवादी इमरान खान के नाम से 1.012 है० प्रतिवादी कुलदीपकुमार के नाम से 0.077 है० प्रतिवादी कुलदीपसिंह के नाम से 0.506 है० प्रतिवादी मदीना के नाम से 0.210 है० प्रतिवादी महमुदखान के नाम से 0.126 है० प्रतिवादी विजयशंकर के नाम से 0.345 है० प्रतिवादी सुरेन्द्रसिंह के नाम से 0.253 है० प्रतिवादी सलामुदीन के नाम 0.127 है० प्रतिवादी हबीबखान के नाम से 0.274 है० दर्ज राजस्व रिकार्ड है।



सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रैक) भादरा

वादभूमि की किस्म, कार्त, बंटार्ई एवं रास्ता आदि को लेकर पक्षकारान में विवाद बना रहता है। इसीलिए वादीगण वादभूमि का कब्जा काश्त के अनुसार जोत विभाजन करवाकर वादीगण अपने-अपने की भूमि अलग से टक कायम करवाकर अपने नाम अलग से खाता कायम करवाने का एवं वादीगण के विभाजित हिस्सा तक आवगमन के लिए रास्ते का अंकन करवाने का कानूनी अधिकारी

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं० 1, 6, 8, 10 तथा 11 जरिये वकील हाजिर हुए। प्रतिवादी सं० 2 ता 5, 7, 9 तामील होने के उपरान्त भी हाजिर नहीं आए जिनके विरुद्ध अपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की।

वहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने वहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान मुताबिक कब्जा काश्त भूमि पर काश्त करते आ रहे हैं। इसी अनुसार कब्जा काश्त के हिसाब से खाता लगान अलग अलग कायम किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने रोही मौजा 10 बारानी के खाता सं० 27/154 के मु० न० 54 के कि० न० 21 ता 24, मु० न० 55 के 25, मु० न० 56 के कि० न० 5, 6, 15, 16 मु० न० 57 के कि० न० 1 ता 15, 19, 20 मु० न० 63 के कि० न० 11 की कुल 6.8310 है० बारानी जिसमें वादी अमितकुमार के नाम 0.352 है० वादी मांगीलाल के नाम 0.353 है० वादी सज्जनकुमार के नाम से 0.226 है० वादी विकास गर्ग के नाम से 0.2572 है० वादी सुशील कुमार के नाम से 0.2572 है० वादी विनोद कुमार के नाम से 0.2952 है० वादी गोतम गर्ग के नाम 0.2572 है० वादी दीपक कुमार के नाम से 0.2572 है० प्रतिवादी अब्दुल सतार के नाम 0.126 है० प्रतिवादी इफतेखार के नाम से 1.518 है० प्रतिवादी इमरान खान के नाम से 1.012 है० प्रतिवादी कुलदीप कुमार के नाम से 0.077 है० प्रतिवादी कुलदीपसिंह के नाम से 0.506 है० प्रतिवादी मदीना के नाम से 0.210 है० प्रतिवादी महमुदखान के नाम से 0.126 है० प्रतिवादी विजयशंकर के नाम से 0.345 है० प्रतिवादी सुरेन्द्रसिंह के नाम से 0.253 है० प्रतिवादी सलामुदीन के नाम 0.127 है० प्रतिवादी हबीबखान के नाम से 0.274 है० दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादभूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने कब्जा काश्त अनुसार खातेदारी भूमि का खाता विभाजन चाहा है जिसका विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रगंदार नक्शा तहसीलदार भादरा के पत्रांक भू.अ./18/780 दिनांक 11.11.2024 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान को सुना गया। वकील वादीगण तथा वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही मौजा 10 बारानी का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

**विभाजन : रोही मौजा 10 बारानी**

**विनोद कुमार पुत्र मोहनलाल हिस्सा 2952/4917, राजेश कुमार पुत्र दयानन्द हिस्सा 1965/4917 जाति महाजन साकिन भादरा :-** रोही मौजा 10 बारानी मु० न० 57 कि० न० 2/1 की 0.1277 है०, कि० न० 3/1 की 0.091 है०, कि० न० 8/1 की 0.091 है०, कि० न० 13/1 की 0.091 है०, मु० न० 54 कि० न० 23/1 की 0.091 है० कुल क्षेत्रफल 0.4917 है० बारानी ।

**अमित कुमार पुत्र रतनलाल हिस्सा 3525/19600, मांगीलाल पुत्र ओमप्रकाश हिस्सा 3525/19600, सज्जन कुमार पुत्र नोरंगराय हिस्सा 2262/19600, विकास गर्ग पुत्र महादेव प्रसाद हिस्सा 2572/19600, सुशील कुमार पुत्र रमेश हिस्सा 2572/19600, गौतम गर्ग पुत्र मोहनलाल हिस्सा 2572/19600, दीपक कुमार पुत्र श्यामसुन्दर हिस्सा 2572/19600 :-** रोही मौजा 10 बारानी के मु० न० 54 के कि० न० 23/2 की 0.162 है०, कि० न० 24 की 0.253 है० (0.240 है० बारानी 0.013 है रास्ता), मु० न० 57 के कि० न० 3 की 0.162 है०, कि० न० 4 की 0.253 (0.250 है० बारानी 0.003 है० रास्ता), कि० न० 5/1 की 0.100 है० (0.094 है० बारानी,

वकील  
रजिस्ट्रार  
(फास्ट ट्रेक)भादरा


1.006 है0 रास्ता), कि0न0 6/1 की 0.100 है0, कि0न0 7 की 0.253 है0, कि0न0 8/2 की 0.162 है0, कि0न0 13/2 की 0.162 है0, कि0न0 14 की 0.253 है0, कि0न0 15 की 0.100 है0 कुल 1.9600 है0 (1.938 वारानी भूमि तथा प्रस्तावित रास्ता 0.022 है0।)

अब्दुल सतार पुत्र अब्दुल रजाक हिस्सा 1265/43793, इफतेखार पुत्र मजीदखां हिस्सा 15180/43793, कुलदीप कुमार पुत्र मोमनराम हिस्सा 770/43793, कुलदीप सिंह पुत्र मंगनसिंह हिस्सा 5060/43793, कृष्णा देवी पत्नी कृष्ण कुमार हिस्सा 10120/43793, मदीना पुत्री अलादीनखां हिस्सा 140/43793, महमुद खान पुत्र हनीफ मोहम्मद हिस्सा 1265/43793, विजयशंकर पुत्र शिवशंकर हिस्सा 3453/43793, सुरेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह हिस्सा 2530/43793, सलामुदीन पुत्र नुरेखां 1270/43793, हबीबखां पुत्र अलादीन हिस्सा 2740/43793 :- रोही मौजा 10 वारानी के मु0न0 54 के कि0न0 21-22 की 0.506 है0 मु0न0 55 कि0न0 25 की 0.253 है0, मु0न0 56 कि0न0 5, 6, 15, 16 की 1.012 है0, मु0न0 57 के कि0न0 1 की 0.253 है0, कि0न0 2/2 की 0.1253 है0, कि0न0 5/2 की 0.153 है0, कि0न0 6/2 की 0.153 है0, कि0न0 9 ता 12 की 1.012 है0, कि0न0 15/2 की 0.153 है0, कि0न0 19-20 की 0.506 है0 मु0 न0 63 कि0न0 11 की 0.253 है0 कुल 4.3793 है0 वारानी

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन संबंधित काश्तकार के संबंधित हिस्से पर शिफ्ट किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/11/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(कल्पित शिवरान)RAS  
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ

कारण सं० : 178/2024

मनवान :

1. अभित कुमार पुत्र रतनलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
2. मांगीलाल पुत्र ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
3. सज्जनकुमार पुत्र नोरंगराय जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
4. विकास गर्ग पुत्र महादेव प्रसाद जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
5. सुशील कुमार पुत्र रमेशचन्द्र जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
6. विनोदकुमार पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
7. गोतम गर्ग पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
8. दीपककुमार पुत्र श्यामसुन्दर जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।

:—वादीगण

बनाम

1. कुलदीप कुमार पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा।
2. कुलदीपसिंह पुत्र छगनसिंह जाति राजपूत निवासी भादरा तहसील भादरा।
3. अब्दुल सतार पुत्र अब्दुल रजाक जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा।
4. इफतेखार पुत्र मजीद निवासी मण्डेला जिला झुन्झुनु।
5. इमरानखान पुत्र अहमदयासीनखान निवासी भादरा तहसील भादरा।
6. मदीना पुत्री अलादीन जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा।
7. महमुदखान पुत्र हनीफ मोहम्मद जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा।
8. विजयशंकर पुत्र शिवशंकर जाति ब्राह्मण निवासी भादरा तहसील भादरा।
9. सुरेन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा।
10. सलामुदीन पुत्र नुरेखान जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा।
11. हबीबखान पुत्र अलादीन जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 25-11-24

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री मुंशीराम गोस्वामी तथा वकील प्रतिवादीगण श्री विरेन्द्र जाखड़ की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा 10 बारानी के खाता सं० 27/154 के मु० न० 54 के कि० न० 21 ता 24, मु० न० 55 के 25, मु० न० 56 के कि० न० 5, 6, 15, 16 मु० न० 57 के कि० न० 1 ता 15, 19, 20 मु० न० 63 के कि० न० 11 की कुल 6.8310 है० बारानी वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादभूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने कब्जा काश्त अनुसार खातेदारी भूमि का खाता विभाजन चाहा है जिसका विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रगंदार नवशा तहसीलदार भादरा के पत्रांक भू.अ./18/780 दिनांक 11.11.2024 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान को सुना गया। वकील वादीगण तथा वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही मौजा 10 बारानी का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

विभाजन : रोही मौजा 10 बारानी

विनोद कुमार पुत्र मोहनलाल हिस्सा 2952/4917, राजेश कुमार पुत्र दयानन्द हिस्सा 1965/4917 जाति महाजन साकिन भादरा :- रोही मौजा 10 बारानी मु० न० 57 कि० न० 2/1 की 0.1277 है०, कि० न० 3/1 की 0.091 है०, कि० न० 8/1 की 0.091 है०, कि० न० 13/1 की 0.091 है०, मु० न० 54 कि० न० 23/1 की 0.091 है० कुल क्षेत्रफल 0.4917 है० बारानी ।

कल्पित शिवरान  
कलक्टर  
(फास्ट ट्रैक) भादरा

कुमार पुत्र रतनलाल हिस्सा 3525/19600, मांगीलाल पुत्र ओमप्रकाश हिस्सा  
2262/19600, सज्जन कुमार पुत्र नोरंगराय हिस्सा 2262/19600, विकास गर्ग पुत्र महादेव  
हिस्सा 2572/19600, सुशील कुमार पुत्र रमेश हिस्सा 2572/19600, गौतम गर्ग पुत्र  
हिस्सा 2572/19600, दीपक कुमार पुत्र श्यामसुन्दर हिस्सा 2572/19600 :- रोही  
मौजा 10 बारानी के मु०न० 54 के कि०न० 23/2 की 0.162 है०, कि०न० 24 की 0.253 है०  
0.240 है० बारानी 0.013 है रास्ता), मु० न० 57 के कि०न० 3 की 0.162 है०, कि०न० 4 की 0.  
53 (0.250 है० बारानी 0.003 है० रास्ता), कि०न० 5/1 की 0.100 है० (0.094 है० बारानी,  
0.006 है० रास्ता), कि०न० 6/1 की 0.100 है०, कि०न० 7 की 0.253 है०, कि०न० 8/2 की  
0.162 है०, कि०न० 13/2 की 0.162 है०, कि०न० 14 की 0.253 है०, कि०न० 15 की 0.100  
कुल 1.9600 है० (1.938 बारानी भूमि तथा प्रस्तावित रास्ता 0.022 है०।)

अब्दुल सतार पुत्र अब्दुल रजाक हिस्सा 1265/43793, इफतेखार पुत्र मजीदखां  
5180/43793, कुलदीप कुमार पुत्र मोमनराम हिस्सा 770/43793, कुलदीप सिंह पुत्र  
मनसिंह हिस्सा 5060/43793, कृष्णा देवी पत्नी कृष्ण कुमार हिस्सा 10120/43793, मदीना  
बी अलादीनखां हिस्सा 140/43793, महमुद खान पुत्र हनीफ मोहम्मद हिस्सा 1265/43793,  
जयशंकर पुत्र शिवशंकर हिस्सा 3453/43793, सुरेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह हिस्सा  
330/43793, सलामुदीन पुत्र नुरेखां 1270/43793, हबीबखां पुत्र अलादीन हिस्सा  
40/43793 :- रोही मौजा 10 बारानी के मु०न० 54 के कि०न० 21-22 की 0.506 है०  
न० 55 कि०न० 25 की 0.253 है०, मु०न० 56 कि०न० 5, 6, 15, 16 की 1.012 है०, मु०न०  
के कि०न० 1 की 0.253 है०, कि०न० 2/2 की 0.1253 है०, कि०न० 5/2 की 0.153 है०,  
न० 6/2 की 0.153 है०, कि०न० 9 ता 12 की 1.012 है०, कि०न० 15/2 की 0.153 है०,  
न० 19-20 की 0.506 है० मु० न० 63 कि०न० 11 की 0.253 है० कुल 4.3793 है० बारानी  
किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन संबंधित  
अशतकार के संबंधित हिस्से पर शिफ्ट किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से  
परी की गई।



*Kalpit*  
(कल्पित शिवरान)RAS  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़